राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. सला पुत्र मोहमद 2. हसीना पत्नी सला जातियान मुसलमान निवासीगण सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. तैयब पुत्र मोहमद जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. एस.बी.आई बैंक शाखा प्रबंधक सेड़वा। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 256/2025

22/08/25 प्रार्थीगण सला पुत्र मोहमद जाति मुसमलान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से अधिवक्ता **श्री बाबूलाल विश्नोई** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के नया खाता संख्या 344 के खसरा संख्या 335 रकबा 0–6718 हैक्टेयर, खसरा संख्या 511/225 रकबा 2–2743 हैक्टेयर हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खाता संख्या नया 160 के खसरा संख्या 512/225 रकबा 2–9137 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के नया खाता संख्या 344 के खसरा संख्या 335 रकबा 0–6718 हैक्टेयर, खसरा संख्या 511/225 रकबा 2–2743 हैक्टेयर हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खाता संख्या नया 160 के खसरा संख्या 512/225 रकबा 2–9137 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीगण इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी पेशी तारीख 30/10/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

01/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील प्रार्थी व प्रार्थीगण स्वयं ने [illegible]। उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व आवेदन विड्रो करने बाबत पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली [illegible] उक्त अनवान के प्रकरण में पक्षकारान [illegible] मध्य आपसी राजीनामा हो [illegible] पत्र विड्रो करना चाहते है। [illegible] को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उक्त

अ. सला

अ. हसीना

पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:43:40 IST
Reason: SelfAttested

उनवान के प्रकरण संख्या 256/2025 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22/08/25 को जारी स्थगन आदेश की कार्यवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:43:40 IST
Reason: SelfAttested